कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांकः 1379/214/आउशि/शा–5'अ'/2021 भोपाल, दिनांक 30/11/2021

प्रति,

1. **कुलसचिव,**
   समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2. **प्राचार्य,**
   समस्त महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषय– ई–प्रवेश प्रकिया के अन्तर्गत कक्षा/विषय परिवर्तन/टी.सी. रिपोर्टिंग की तिथि में वृद्धि बावत्।

संदर्भ–(1) मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का आदेश कमांक 544/94/सीसी/2021/अड़तीस, दिनांक 15.07.2021
(2) कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1169/214/आउशि/शा–5'अ'/2021, दिनांक 30.09.2021
(3) कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1213/214/आउशि/शा–5'अ'/2021, दिनांक 08.10.2021
(4) कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1235/214/आउशि/शा–5'अ'/2021, दिनांक 18.10.2021
(5) कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1247/214/आउशि/शा–5'अ'/2021, दिनांक 26.10.2021
(6) कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1278/214/आउशि/शा–5'अ'/2021, दिनांक 22.11.2021
(7) कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1359/214/आउशि/शा–5'अ'/2021, दिनांक 25.11.2021

––0––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश के द्वारा सत्र 2021–22 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों के स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत, अकादमिक कैलेण्डर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय–सारणी एवं कार्यालयीन पत्रों के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित्र पत्र कमांक 05 के बिन्दु 01 पर विद्यार्थियों द्वारा प्रवेशित महाविद्यालय में विषय/संकाय परिवर्तन संबंधी कार्यवाही पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर मेजर, माईनर, वैकल्पिक विषय एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम आदि में परिवर्तन करते हुए महाविद्यालय स्तर पर टी.सी. रिर्पोटिंग की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अंतिम तिथि में वृद्धि करते हुए **दिनांक 10.12.2021** की जाती है। शेष दिशा निर्देश यथावत रहेंगे।

समस्त महाविद्यालय स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों की एक्सेल फार्मेट में सूची संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित करें। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के ऐसे विद्यार्थी जिनका नामांकन नहीं है। उनकी भी यथानुसार एक्सेल सूची संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित की जाए। इसके साथ ही निर्धारित शुल्क की राशि भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची तैयार कर दिनांक 10.12.2021 तक संबंधित विश्वविद्यालय को नामांकन हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें। नामांकन हेतु निर्धारित शुल्क की राशि विद्यार्थी द्वारा प्रवेश के समय जमा की गई प्रथम किश्त से भुगतान की जाए एवं तत्पश्चात् आगामी किस्तों में संबंधित विद्यार्थी से नामांकन शुल्क जमा कराया जाए। संबंधित विश्वविद्यालय में एक्सेल सीट के साथ नामांकन शुल्क जमा करने की कार्यवाही **दिनांक 15.12.2021** तक सुनिश्चित की जाए।

मेजर, माईनर, वैकल्पिक विषय एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम आदि में परिवर्तन करते हुए महाविद्यालय स्तर पर टी.सी. रिर्पोटिंग की कार्यवाही पूर्ण की जाए। टी.सी./माइग्रेसन की मूल प्रति प्राप्त न होने के स्थिति में वचन पत्र प्राप्त कर कार्यवाही पूर्ण की जाना सुनिश्चित की जाए।

सत्र 2021–22 में प्रवेशित ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने "मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना" तथा "मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना अन्तर्गत प्रवेश प्राप्त किया है। उनका नामांकन शुल्क टी.सी. रिर्पोटिंग के समंय महाविद्यालय स्तर पर ऑनलाईन जमा कर कार्यवाही सुनिश्चित कि जाए।

मार्गदर्शिका की कंडिका 6.1.2 में दिये गये निर्देशानुसार समस्त विश्वविद्यालय नामांकन संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

30/11/21

(डॉ0 धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल

निरन्तर...2,

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2021/ 1445 **दिनांक :-** 07/12/2021

प्रतिलिपि :-

01. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी, समस्त अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन से अनुरोध है कि, समस्त विद्यार्थियों को अवगत करावें एवं अधिसूचना सूचना-पटल पर चस्पा करें।
02. कुलानुशासक/विद्यार्थी कल्याण विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
03. प्रभारी ऑनलाईन सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
04. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन कृपया अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रसारित करें।
05. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कुलसचिव